हलधर महतो एवं उपेंद्र नारायण उरांव, सदस्य झारखंड राज्य खाद्य आयोग द्वारा लातेहार जिला के महुआडांड़ प्रखंड लुरगुमी कला गांव में रामचरण मुंडा की भूख से कथित मौत के संबंध में एक दिवसीय क्षेत्र भ्रमण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

दिनांक : 10 जून, 2019

स्थान : ग्राम, लुरगुमी कला, प्रखंड; महुआडांड़, जिला लातेहार।

घटना का विवरण

आयोग को दिनांक 6 जून, 2019 को पूर्वाहन लगभग 11:30 बजे फोन के माध्यम से लातेहार जिला के महुआडांड़ प्रखंड के लुरगुमी कला गांव में रामचरण मुंडा नामक व्यक्ति की भूख से कथित रूप से मृत्यु होने संबंधी सूचना प्राप्त हुई। सूचना दाता द्वारा उसी समय अनुमंडल पदाधिकारी, महुआडांड़ को भी इस घटना की सूचना देते हुए मृतक के अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता की मांग की गई। सूचनादाता द्वारा आयोग में मृतक के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं दिये जाने के कारण आयोग ने सत्यापन हेतु खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल ''आहार'' से रामचरण मुंडा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। संध्या 4.00 बजे रामचरण मुंडा के राशन कार्ड के संबंध में आहार पोर्टल से जानकारी लेकर आयोग द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, लातेहार को फोन से सूचना दी गयी.

आयोग के भ्रमण एवं निरीक्षण के समय उपस्थित पदाधिकारी

1. अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, लातेहार।
2. अनुमंडल पदाधिकारी, महुआडांड़।
3. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार।
4. अंचल अधिकारी, महुआडांड़।
5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड़।
6. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआडांड़।
7. प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी, महुआडांड़।
8. स्थानीय आंगनबाड़ी सेविका एवं सहिया।

विस्तृत प्रतिवेदन

- आयोग की टीम द्वारा जिला प्रशासन से आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गयी, जिसे जिला प्रशासन द्वारा डाक के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराया गया।
- आयोग द्वारा मृतक स्व रामचरण मुंडा की पत्नी चमरी देवी, पुत्री शोभा देवी एवं सुनीला कुमारी से बात की गयी।
- मृतक स्व रामचरण मुंडा की पत्नी चमरी देवी, पुत्री शोभा देवी एवं पुत्री सुनीला कुमारी ने बताया कि उनके घर में कई दिनों से अनाज नहीं था. मार्च, 2019 से जनवितरण प्रणाली से खाद्यान्न का वितरण भी नहीं किया गया था। उसके माता–पिता काम करने में असमर्थ थे और घर में कोई और काम करने वाला नहीं था।

109

- जन वितरण प्रणाली दुकानदार मीना देवी ने बताया कि उनके पति के नाम से पूर्व में जनवितरण प्रणाली की दुकान थी। पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर मीना देवी के नाम से जनवितरण दुकान का आवंटन जनवरी, 2019 में किया गया। दुकान आवंटन के बाद माह अप्रैल 2019 में E-POS मशीन को मीना देवी के नाम से स्थानांतरित किया गया, साथ ही ऑनलाइन भी कर दिया गया।

- मीना देवी के अनुसार पूरे प्रखंड में मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध रहता है। इस कारण प्रखंड की सभी जनवितरण दुकान ऑफलाइन मोड पर चलती हैं, किंतु मीना देवी की दुकान को ऑनलाइन कर दिया गया। नेटवर्क के अभाव में वह राशन वितरण नहीं कर पा रही थी।

- दिनांक 25.04.2019 को मीना देवी ने नेटवर्क नहीं रहने के कारण राशन वितरण कर पाने में असमर्थता संबंधी सूचना जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआडांड़ के माध्यम से दी थी एवं दुकान को ऑफलाइन करने का अनुरोध किया था। ताकि लाभुकों को राशन वितरण किया जा सके।

- जनवितरण दुकानदार मीना देवी के अनुसार उनके नाम से दुकान का लाइसेंस मिलने के बाद अप्रैल माह में उन्हें खाद्यान्न प्राप्त हो चुका था, किंतु ऑनलाइन मोड में होने के कारण वह राशन वितरण कर पाने में असमर्थ थी। मीना देवी के आवेदन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई।

- पुनः मीना देवी ने 11.05.2019 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखकर E-POS मशीन को ऑफलाइन करने का अनुरोध किया ताकि लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण किया जा सके। किंतु उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और राशन वितरण का कार्य प्रभावित रहा।

A'

- दिनांक 25.04.2019 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआडांड़ ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को पत्र लिखकर मीना देवी की जन वितरण प्रणाली की दुकान को ऑफलाइन करने की अनुमति की मांग की। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपने पत्र के साथ दुकानदार मीना देवी के पत्र को भी अग्रसारित किया गया, किंतु प्रशासनिक स्तर पर मीना देवी की दुकान को ऑफलाइन करने की दिशा में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

- मृतक स्व रामचरण मुंडा के परिवारजनों को मार्च–अप्रैल एवं मई माह का खाद्यान्न नहीं मिला था। इस परिवार को अंतिम बार फरवरी, 2019 में खाद्यान्न मिला था।

- रामचरण मुंडा की पेंशन संबंधी जानकारी के संबंध में उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि जनवरी माह से ही उनके परिवार को पेंशन की राशि बंद है।

- भ्रमण के दौरान आयोग द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार से अनुरोध किया गया कि स्वर्गीय रामचरण मुंडा के पेंशन से संबंधित जानकारी उनके बैंक खाते के विवरण एवं अन्य दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराया जाए।

- स्व रामचरण मुंडा की तथाकथित भूख से मौत संबंधी सूचना दिनांक 6 जून, 2019 को लगभग 11:30 बजे पूर्वाहन में आयोग को प्राप्त हुई थी। सूचना दाता द्वारा फोन पर यह जानकारी दी गई थी, जिसमें मृतक का पता अस्पष्ट था। अतः आयोग ने प्राप्त जानकारी के आधार पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट "आहार" से स्व रामचरण मुंडा के राशन कार्ड का विवरण लेने का प्रयास किया। संध्या 4.00 बजे स्व रामचरण मुंडा के राशन कार्ड का पूर्ण विवरण जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को आयोग द्वारा तत्काल व्हाट्सएप से प्रेषित किया गया।

आयोग की टीम ने भ्रमण के दौरान मृतक स्व रामचरण मुंडा की पत्नी चमरी देवी, पुत्री शोभा देवी एवं सुनीला कुमारी का वजन एवं ऊंचाई का माप लिया, जो निम्न प्रकार है :-

चार्ट

क्रम सं	नाम	वजन (किग्रा)	ऊंचाई	बीएमआई
1	चमरी देवी	38	5'3"	14.84
2	शोभा देवी	33	5'1'	13.74
3	सुनीला कुमारी	31	5'1"	12.91

चूंकि भ्रमण के समय तक खाद्य आयोग की टीम को झारखंड सरकार द्वारा अनुशंसित तथाकथित भूख से मौत संबंधी जांच प्रोटोकॉल के अनुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए आयोग ने पुनः उपायुक्त, लातेहार को जांच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु पत्र लिखा। दिनांक 28.06.2019 को उपायुक्त लातेहार का प्रतिवेदन आयोग को प्राप्त हुआ।

निष्कर्ष एवं अनुशंसा

1. स्व रामचरण मुंडा के परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति उपर्युक्त चार्ट में दर्शाए गए विवरण के अनुसार गंभीर रूप से चिंताजनक पाई गई।
2. पूरे महुआडांड़ प्रखंड में पूर्व से ही खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण ऑफलाइन माध्यम से की जा रही है, जबकि सिर्फ जन वितरण दुकानदार मीना देवी को आवंटित E-POS मशीन को ही ऑनलाइन कर दिया गया था।
3. तीन माह तक संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जानकारी रहने के बावजूद उचित कार्रवाई न किया जाना, जिसके कारण लातेहार जिला के महुआडांड़ प्रखंड के लुरगुमी कला गांव की जनवितरण दुकानदार मीना देवी की दुकान से संबद्ध लाभुक खाद्यान्न से वंचित रहे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन है।
4. दुकानदार द्वारा बार-बार पत्र लिखकर सूचना दिए जाने के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई न किया जाना कार्य में शिथिलता एवं असंववेदन शीलता का प्रतीक है, जिसके कारण माह मार्च अप्रैल एवं मई 2019 में राशन वितरण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 33 का मामला बनता है।

(107)

5. अनुमंडल पदाधिकारी, महुआडांड़ के प्रतिवेदन के अनुसार क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा पूर्णतः बाधित होने के बावजूद मीना देवी को ऑनलाइन म–चै मशीन उपलब्ध कराया गया। मीना देवी द्वारा बार–बार अपवाद रजिस्टर के माध्यम से वितरण अथवा ऑफलाइन वितरण करने की अनुमति मांगे जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि रामचरण मुंडा की मृत्यु के अगले ही दिन 7 जून को अपवाद पंजी से खाद्यान्न वितरण कराया गया। इससे स्पष्ट है कि मीना देवी की जनवितरण दुकान को ऑफलाइन अथवा अपवाद पंजी के माध्यम से वितरण की अनुमति देने में प्रशासनिक लापरवाही बरती गई।

6. रामचरण मुंडा की मृत्यु के तुरंत बाद मामला 06.06.2019 को ही प्रशासन के संज्ञान में आया, जिसके अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी, महुआडांड़ ने उसी दिन स्वर्गीय रामचरण मुंडा के अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहयोग उनके परिजनों को दिया था। राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित तथाकथित भूख से मृत्यु के मामले में जांच प्रोटोकॉल में स्पष्ट है कि इस तरह के मौत के मामलों में सर्वप्रथम शव का अंत्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। रामचरण मुंडा के शव का पोस्टमार्टम भी जिला प्रशासन द्वारा कराया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। यह भी प्रशासनिक लापरवाही एवं विफलता का द्योतक है।

7. आयोग का यह मत है कि तथाकथित भूख से मृत्यु के मामलों में शव का तत्काल अंत्य परीक्षण किया जाना चाहिए एवं राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित प्रोटोकॉल के आधार पर ही जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाना अनिवार्य होना चाहिए।

2.8.19
(उपेन्द्र नारायण उराँव)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

2/8/2019
(हलधर महतो)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।